Central Excises and Salt Act, 1944. [*Placed in Library, see* No. LT-3847/65].

(3) a copy of the Central Excise (First Amendment) Rules, 1965, published in Notification No. G.S.R. 61 dated the 9th January, 1965, under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944. [*Placed in Library, see* No. LT-3848/65].

(4) a copy each of the following Notifications under section 296 of the Income-tax Act, 1961:—

(i) S.O. 168 dated the 5th January, 1965, containing Corrigendum to Notification No. S.O. 969 dated the 31st March, 1962.

(ii) The Income-tax (Second Amendment) Rules, 1965, published in Notification No. S.O. 591 dated the 15th February, 1965.

(iii) S.O. 654 dated the 17th February, 1965, containing Corrigendum to Notification No. S.O. 169 dated the 5th January, 1965.

[*Placed in Library, see* No. LT-3849/65].

(5) a copy of Notification No. G.S.R. 272 dated the 17th February, 1965, under sub-section (5) of section 58 of the Finance Act, 1964. [*Placed in Library, see* No. LT-3850/65].

(6) a copy of Notification No. G.S.R. 276 dated the 17th February, 1965, under sub-section (5) of section 62 of the Finance Act, 1964. [*Placed in Library, see* No. LT-3851/65].

(7) a copy each of the following Notifications issued under rule 8(1) of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (4) of section 62 of the Finance Act, 1964:—

(i) G.S.R. 277 dated the 17th February, 1965.

(ii) G.S.R. 278 dated the 17th February, 1965.

[*Placed in Library, see* No. LT-3852/65].

POINT OF ORDER *RE*: CALLING ATTENTION ON MERGER OF GOA, DIU AND DAMAN

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, जो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रखनी आवश्यक है। 22 जनवरी को बालिग मताधिकार पर चुनी गई जो गोआ की विधान सभा है उसके द्वारा गोआ का महाराष्ट्र के साथ और दीव और दामन का गुजरात के साथ विलीनीकरण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद तुरन्त मैंने बनारस से आप की सेवा में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसी विषय पर भेजा। कुछ दिन बाद जवाब आया कि आपने इसके लिये इजाजत नहीं दी है। क्यों नहीं दी है इसका उसमें बिल्कुल जिक्र नहीं था। अब जो नियम हैं उनके अन्दर यह कहा गया है कि अध्यक्ष की इजाजत से इस प्रश्न को उठाया जा सकता है, अगर अध्यक्ष की राय में वह लोक महत्व और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न हो। अगर मुझे यह बतलाया जाता कि यह लोक महत्व का या अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है तो आपके कमरे में आकर मैं आप से इसके बारे में बात करता, और अगर आप मेरी बात को स्वीकारते तो शायद इस के लिये इजाजत देते। लेकिन चूंकि मुझ को यह नही बतलाया गया, इसलिये ध्यान आकर्षण के बारे में मैं आगे जाकर कोई कार्रवाई नहीं कर सका। इसके पश्चात् मैंने एक अल्प सूचना का प्रश्न इसके सम्बन्ध में तैयार किया, जिसके ऊपर

[श्री मधु लिमये]

इस सदन में जितने प्रमुख पक्ष हैं या दल हैं उनके सदस्यों के हस्ताक्षर मैंने लिये थे। मसलन कांग्रेस पार्टी के श्री शं० शा० मोरे, कम्युनिस्ट पार्टी की श्रीमती रेणु चक्रवर्ती थीं, श्री त्रिदिव कुमार चौधरी थे, श्री इंदु-लाल याज्ञिक थे। तो मैंने यह अल्पसूचना का प्रश्न किया 19 फरवरी को। उसके बारे में एक पत्र मेरे पास आया है, 23 तारीख को। उसमें बताया गया है कि गृह मन्त्री आपके अल्पसूचना प्रश्न को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन गोआ के विलीनीकरण के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया है, जिसको 3 मार्च के लिए रखा जा रहा है।

अब मुझे यह नहीं बताया गया है कि वह प्रश्न कब से पेश किया गया, उसे किन लोगों ने पेश किया, क्या वह मौखिक उत्तर के लिए आ रहा है या लिखित उत्तर के लिये आ रहा है।

अब कुछ नियमों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नियम संख्या 54 के अनुसार अगर एक लोक महत्व का प्रश्न कोई है तो कम सूचना देकर भी उसको रखा जाता है, और अगर अध्यक्ष की राय है कि वह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, तो मन्त्री से पूछताछ करके उसके बारे में यह पूछा जा सकता है कि वह उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं।

अब मुझ को जो पत्र मिला है उसमें यह कहा गया है कि मन्त्री महोदय इसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन चूंकि उनको प्रश्न पूछा गया था, उसका मैं यह मतलब निकालता हूं कि अध्यक्ष की राय में यह मसला लोक महत्व का भी है और अविलम्बनीय प्रकार का भी है। अगर ऐसा न होता तो वे गृह मन्त्री से पूछते नहीं कि वह उसका जवाब देने की स्थिति में हैं या नहीं। अब उसी नियम 54 (3) के अन्दर जो कहा गया है, वह मैं आपकी सेवा में पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पढ़ लिया, आगे चलिए।

श्री मधु लिमये : आपकी राय में यह लोक महत्व का प्रश्न है, जैसा कि आप पहले ही फैसला कर चुके हैं, नहीं तो गृह मन्त्री जी से आप पूछते नहीं। तो उसका मौखिक उत्तर दिया जा सकता है। अब 3 तारीख को जो प्रश्न आ रहा है, उसका स्वरूप क्या है मैं नहीं जानता, उसका नोटिस कब मिला मैं नहीं जानता क्योंकि 22 जनवरी को गोआ विधान सभा की ओर से प्रस्ताव पास होने के बाद बिल्कुल नई स्थिति हो गयी है। पहले जो मांग थी वह तो जनता की ओर से, या कुछ दलों की ओर से या कुछ संगठनों की ओर से थी। अब गोआ की विधान सभा ने, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यह प्रस्ताव पास किया है। इसलिए मैंने 22 जनवरी के बाद जो ध्यानाकर्षण का नोटिस दिया या जो अल्प सूचना का सवाल दिया वह नई स्थिति पैदा होने के बाद दिया और मेरा सवाल उससे भिन्न रहा तरह का हो सकता है जो इस तारीख से पहले दिया गया हो। इसलिए नियम 54(3) के अनुसार अगर इसको आप लोक महत्व का मानें—जैसा कि आप पहले ही फैसला कर चुके हैं—तो उसका मौखिक उत्तर देने के लिए इसमें यह प्रबन्ध है कि जो प्रश्न सूची है उसमें उसको प्राथमिकता दी जा सकती है। इसमें ये शब्द हैं :

> "प्रश्न-सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाए।"

अगर आपकी इच्छा हो और आप इसको लोक महत्व का मानते हों तो ऐसा आप कर सकते हैं।

मैंने इस सवाल को आज इस लिए उठाया कि आज सदस्यों को 2 मार्च की प्रश्न सूची मिल गयी है, तो सम्भवतः कल 3 मार्च की प्रश्न-सूची उनको भेज दी जाएगी। अगर इस बारे में आप अभी निर्णय देना चाहते हों तो

अभी निर्णय दे दें, या कल परसों भी दे सकते हैं, मुझे उसके बारे में कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जब तक आपका इस विषय में फैसला न हो जाय तब तक उस प्रश्न सूची को छपाने का काम स्थागित रखा जाए । यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और यही मैं आप से निवेदन करना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न तो कोई था ही नहीं और इसकी जरूरत नहीं थी कि मैं इसके लिए कोई खास वक्त निश्चित करता और इसके लिए हाउस का वक्त खर्च करता । पर मेरे मित्र अभी थोड़े अरसे से हाउस में आए हैं और वह इसको बहुत जरूरी समझते हैं, इसलिए मैंने कहा कि यह मसला हाउस के सामने आ जाए ।

उन्होंने यह कहा है कि जब गोआ असेम्बली में यह रिजोल्यूशन पास हुआ तो उन्होंने यहां अविलम्बनीय किस्म का काल अटेंशन नोटिस भेज दिया । मैंने उसको नामंजूर कर दिया । पहला उज्र तो उन्होंने यह किया कि उनको जो पत्र यहां से भेजा गया उसमें इसका कोई कारण नहीं दिया गया कि उसे क्यों नामंजूर किया गया, अगर कारण दिया होता तो वह मेरे पास आकर मेरे साथ बात करते । कारण नहीं था, इसलिए तो यह और भी जरूरी था कि वह मेरे पास आकर मुझ से बात करते तो मैं उनको फाइल मंगवा कर दिखा देता और जो वह कहते उस पर गौर कर लेता और अगर कोई दूसरी चीज हो सकती थी तो कर देता । तो कारण न होने से उनका मेरे पास न आना मेरी समझ में नहीं आया ।

अब वह नामंजूर हुआ, तो आपने एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया । मैं ने उसको रिजैक्ट नहीं किया और जैसा कि आपने कहा मैंने उसको महत्व का समझा और मैंने उसे मिनिस्टर साहब को भेज दिया । अगर उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो नियम 54 में उनको ऐसा करने का अधिकार था । वह कह सकते थे कि वह इस शार्ट नोटिस सवाल का जवाब नहीं दे सकते । इस बारे में उन पर कोई उज्र नहीं किया जा सकता ।

अब रहा सवाल यह कि अगर मैं उसको महत्व का समझता हूं तो मैं उसको किसी दिन स्टार्ड सवाल की शक्ल में ऐसी जगह रख दूं ताकि उसका जवाब मिल जाए । जब मैं उस सवाल को रखना चाहता था तो पता चला कि 3 मार्च के लिए उसी मजमून का सवाल, जिसकी सूचना 11 जनवरी को दी गयी थी, नोटिस जारी होने के एक दिन बाद, मुकर्रर किया गया है और वह स्टार्ड क्विश्चन है । मैं ने उस पर आपका नाम भी रखवा दिया है इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं सकता था । जब उसी मजमून का एक सवाल आ चुका था तो आपके नाम से दूसरा सवाल अलाहिदा नहीं रखा जा सकता था । यह मेरी मजबूरी थी । अगर वह सवाल न होता तो मैं आप के नाम पर अलाहिदा एक सवाल रख लेता ।

तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई है जिसमें किसी नियम का उल्लंघन किया गया हो, और इसलिए मुझे फैसला देने की जरूरत नहीं है ।

श्री मधु लिमये : आपने कहा कि 11 जनवरी को वह सवाल भेजा गया । लेकिन गोआ विधान सभा में यह प्रस्ताव 22 जनवरी को पास हुआ है । इसलिए उस प्रश्न की शक्ल मेरे प्रश्न से भिन्न हो सकती है । इसी लिए मैंने यह निवेदन किया था ।

मैं आपका फैसला माने लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए शुक्रिया ।

12.17 hrs.

STATEMENT RE: LANGUAGE ISSUE

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): Sir, the meeting of Chief Ministers of States, convened to consider the language issue, met on 23rd